न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर खीरी

परिवाद संख्या 1325/2019

मधुबाला बनाम कमाल अहमद आदि।

अन्तर्गत धारा- परिवाद

थाना सिंगाही

जिला- लखीमपुर खीरी।

<u>05.07.2022</u>

वाद पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार-बार पुकार कराने के बाद भी परिवादिनी अनुपस्थित। समय लगभग अपराह्न 03.00 पी०एम० हो चुका है। परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। वाद पत्रावली साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा परिवादिनी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० अंकित कराए जाने हेतु कई बार अवसर प्रदान किए जा चुके है किन्तु परिवादिनी द्वारा आज तक साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० अंकित नही कराया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में दाखिल समस्त साक्ष्यों के परिशीलन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण को तलब किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य दाखिल नही किए गये है। अतः परिवादिनी का परिवाद साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत परिवादपत्र साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

लखीमपुर खीरी

जे०ओ०कोड- UP 3327